

फर्द अहकाम

(विषय 28)

अदालत उपरुक्त अधिकारी सिकराय

सरकार बनाम राम रजवानी

किस्म मुकदमा दावा मु० नं० 84/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>28/12/19</p> <p>22⁰³/19</p>	<p>परोकार सरकार द्वारा दावा पेश की पेश किया गया दल रजिस्ट्र द्वारा दि० 8/5/19 को पेश है।</p> <p>पत्रावली पेश हुई परोकार सरकार (उपस्थित)। परोकार सरकार को चुनाव गमा पत्रावली को अवलोकन क्रिया (वृत्त) को मनन क्रिया। खातेदारों द्वारा उपस्थित होकर सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया। मुताबिक सहमति पत्र अनुसार डुरुस्तीकरण का निर्वेदन किया गया। सहमति पत्र पर प्रसकार व पटवारी श्री भास्कर ख निरीक्षण व तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट भी पत्रावली पर उपलब्ध है। जिस पर भी डुरुस्तीकरण का निर्वेदन किया। है। जिस रिपोर्ट में मुताबिक सहमति पत्र डुरुस्ती क्रिया जाने योग्य है एवं सहमति पत्र दिनांक 20-3-19 की निर्णय व डिग्री का भाग रहेगी। अतः दावावादी स्वीकार किया जाता है तथा क्रिया दिव खसरा नं. 51, 52, 53, 54 (कुल कित) 4 कुल रकबा 0.7200 हेक्टेयर ग्राम (उदयपुर) तहसील सिकराय के राजस्व रिकार्ड में सहमति दि० 20-3-19 के मुताबिक डुरुस्तीकरण के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिये जाते हैं। निर्णय मेरी द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में पुनाया गया।</p> <p>31/12/19 उपस्थित अधिकारी सिकराय जिला कला</p>	<p>नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>

हाथ प्रामाणिक